

## अनुसूची II

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रोफार्मा (सीजीएम, एफएमडी, आरबीआई, मुंबई को सीपी जारी करने के 3 दिनों के भीतर जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (आईपीए) के माध्यम से रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में :

मुख्य महाप्रबंधक  
वित्तीय बाजार विभाग  
भारतीय रिजर्व बैंक  
केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट  
मुंबई - 400 001

के माध्यम से: (आईपीए का नाम)

महोदय

### वाणिज्यिक पत्र जारी करना

रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2003 को जारी वाणिज्यिक पत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी किया है:

i) जारीकर्ता का नाम :

ii) पंजीकृत कार्यालय और पता :

iii) व्यावसायिक गतिविधि :

iv) स्टॉक एक्सचेंज का/के नाम

किसके साथ जारीकर्ता के शेयर सूचीबद्ध हैं:

(यदि लागू हो)

v) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार मूर्त निवल संपत्ति :

vi) कुल कार्यशील पूंजी सीमा :

vii) बकाया बैंक उधार :

viii) (ए) वाणिज्यिक पत्र का विवरण

जारी (अंकित मूल्य)	: परिपक्वता की तिथि	तिथि	राशि	दर
जारी				
i )				
ii)				

(बी) बकाया सीपी की राशि

(अंकित मूल्य) वर्तमान इश्यू सहित

ix) . क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन

i)

सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त की गई रेटिंग या

ii )

रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की गई कोई अन्य एजेंसी

iii )

x) क्या सीपी इश्यू के संबंध में स्टैंड-बाय सुविधा प्रदान की गई है?

xi) यदि हाँ

i) रु. करोड़ की स्टैंडबाय सुविधा की राशि : रु करोड़

ii) द्वारा प्रदान किया गया (बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम)

xii) क्या सीपी इश्यू के संबंध में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की गई है?

xii) यदि हाँ

i) गारंटी की राशि : रु. करोड़

ii) द्वारा प्रदान किया गया

(गारंटर का नाम)

iii) गारंटर की क्रेडिट रेटिंग

के लिए और की ओर से

(जारीकर्ता का नाम)